## ::कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर, जोधपुर ::

**ईमेल– dc-jod-rj@nic.in** **वेबसाईट– www.districts.ecourts.gov.in/jodhpurmetro**

**क्रमांकः 179** **दिनांकः 30.04.2021**

### :: कार्यालय–आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नोटिस दिनांक 30.04.2021 द्वारा राज्य सरकार की गाइडलाईन की पालना में पूरे राज्य में कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु दिनांक 30.04.2021 की सांय 5.00 बजे से दिनांक 02.05.2021 को प्रातः 5.00 बजे तक वीकेण्ड कर्फयु होने से समस्त अधीनस्थ/विशिष्ठ एवं अधिकरणों में न्यायालय एवं कार्यालय का कार्य स्थगित किया गया है। उक्त नोटिस की पालना में जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र के लिये श्रीमती प्रतिभा मोट्यार, महानगर मजिस्ट्रेट संख्या–10, जोधपुर महानगर को दिनांक 01.05.2021 को आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड जमानत, धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में (वक्त प्रातः 9.30 से 11 बजे तक) करने के लिए एवं उस रोज यदि कोई मृत्युकालिक कथन हो, उस संबंध में कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाता है। साथ ही श्रीमती हेमलता भारती, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या–5, जोधपुर महानगर, जोधपुर दिनांक 01.05.2021 को उक्त कार्य के अलावा अन्य आवश्यक कार्य हेतु मुख्यालय पर रहेंगें।

रिमाण्ड प्राधिकृत किये जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार दाण्डिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किये गए महानगर मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उक्त न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुल्जिम को पेश किया जाना है। जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करते समय जमानत आदेश में यह आवश्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।

नोट : (ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरंभ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(बी) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। निर्धारित समय में अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं निवास पर मुल्जिम को पेश करने पर थानाधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही जावेगी। विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। संबधित न्यायालय का स्टॉफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

(सी) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु उपलब्ध नहीं होने की दषा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

**जिला एवं सेशन न्यायाधीश,**
**जोधपुर महानगर, जोधपुर।**

क्रमांकः–2804 दिनांकः–30.04.2021

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है** :–

1. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
2. अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सं 1/2/3/4/5/6/7/8/सीबीआई/आर्थिक अपराध/रेल्वे/पीसीपीएनडीटी/किराया अधिकरण/किशोर न्याय बोर्ड, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
3. महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर।

4. महानगर मोबाईल मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
5. महानगर मजिस्ट्रेट सं. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
6. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय मण्डोर, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
7. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट एन.आई.एक्ट सं 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
8. पुलिस उपायुक्त, पूर्व/पश्चिम, जोधपुर महानगर को अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
9. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स/लॉयर्स एसोसियेशन, जोधपुर।
10. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, जोधपुर महानगर को लेख है कि उक्त राजकीय अवकाश के दिवस को संबंधित न्यायालय में एपीपी की ड्यूटी लगाने की आवष्यक रूप से व्यवस्था करावें।
11. नोटिस बोर्ड (ज्यूडिशियल सर्विस सेंटर, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर)
12. प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, जोधपुर महानगर।
13. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, जोधपुर शहर।
14. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर को वास्ते ऑफिशियल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. ऑफिसर इंचार्ज कंट्रोल एवं कमांड (पुलिस विभाग) सूचना केन्द्र के पास, जोधपुर को पुलिस वेबसाईट पर अपलोड करने व समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
16. कार्यालय प्रति।

**जिला एवं सेशन न्यायाधीश,**
**जोधपुर महानगर, जोधपुर।**